कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

<u>विज्ञापन</u>

उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन के अतंर्गत पेंशन फण्ड के प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ11-10/2012 /नियम/चार दिनांक 06/10/2012 में उल्लेखित शर्तों के अधीन परामर्शी की नियुक्ति हेतु दिनांक 30/11/2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण उच्च शिक्षा विभाग की वेब-साइट **highereducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल—462004

परामर्शी की नियुक्ति से संबंधित शर्ते

1. परामर्शी के रूप में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग से 65 वर्ष की आयु से कम ऐसे सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी के अपर संचालक अथवा संचालक स्तर के अधिकारी पात्र होगें जिन्हें सेवा काल में पेंशन तथा अन्य वित्तीय मामलो के निराकरण का पर्याप्त अनुभव हो। साथ ही ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होनें उच्च शिक्षा विभाग में कार्य किया हो।

2. पेंशन फण्ड के प्रबंधन का स्वरूप वित्तीय है और इस नियुक्ति का उद्देश्य परामर्शी की सहायता से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा प्रदेश के 06 परम्परागत विश्वविद्यालयों के लिए बैंको में संधारित पेंशन फण्ड में आवश्यक राशि की गणना तथा उस पर सभी संबंधित संस्थाओं की हिस्सेदारी निर्धारित करना है। जिससे इन संस्थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों को छठवे व सातवें वेतनमान के अनुसार तथा विश्वविद्यालयो के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पेंशन प्रदान किये जाने से संबंधित कार्य किये जा सके।

3 यह नियुक्ति पूर्णतः अशासकीय तथा अस्थायी होगी एवं कार्य के स्वरूप व आवश्कता के आधार पर परामर्शी की नियुक्ति कि कार्य अवधि अधिकतम 02 वर्ष होगी।

4 परामर्शी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी पूर्व में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग में प्रथम श्रेणी स्तर से सेवानिवृत्त होने के कारण वित्त विभाग द्वारा प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित मानदेय की राशि रूपये 09 लाख वार्षिक अथवा मासिक दर पर निर्धारित मानदेय रूपये 75,000 प्रतिमाह भारतीय रूपयो में प्रदान किया जाएगा । सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्राप्त होते रहेगें। साथ ही नियमानुसार आयकर का कटौत्रा किया जाएगा।

5 परामर्शी के रूप में नियुक्त अधिकारी को 01 कैलेन्डर वर्ष मे शासकीय / सार्वजनिक अवकाशो के अतिरिक्त 13 आकस्मिक अवकाश तथा 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। शासकीय कार्य से किसी अन्य शहर मे प्रवास पर जाने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए निर्धारित टी.ए /डी.ए की दरें मान्य होगी।

6 परामर्शी के रूप में चयन का आधार साक्षात्कार होगा जिसके लिए पृथक से विभागीय वेबसाइट पर तथा संबधित के ई—मेल पर सूचना प्रेषित की जाएगी। साक्षात्कार के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा।

7. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक स्वीकार किये जाएगें। आवेदको द्वारा पूर्णतः भरें आवेदन निर्धारित तिथि तक हार्डकापी में आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल अथवा ई-मेल hedirest@mp.gov.in पर भेजे जा सकेगें। आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पास आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के समस्त अधिकार सुरक्षित होगें साथ ही अस्वीकार किये गए आवेदन पत्रों का कारण बताने के वैधानिक उत्तादायित्व से वो मुक्त रहेगें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा

आवेदन पत्र का प्रारूप

1 नाम :–	....	पासपोर्ट साइज फोटो
2 स्थायी पता :–	....	
3 पत्राचार का पता :–	....	
4. सम्पर्क नम्बर :–	....	
5. ई -मेल आई डी :–	....	
6. जन्म तिथि :–	....	
7. राष्ट्रीयता :–	....	

8. शैक्षणिक योग्यता:–

स.	उत्तीर्ण परीक्षा	संस्थान का नाम	समाप्ति तिथि
1			
2			

9 पूर्व की शासकीय सेवा का विवरण:–
(अद्यतन पदस्थापना से शुरू करते हुए व्यतिकम में सेवा का विवरण)

10 पेंशन प्रावधान संबंधी कार्य अनुभव का विवरण:–

प्रमाण–पत्र

मैं उच्च शिक्षा संचालनालय में परामर्शी के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ और पदस्थापना अवधि में पूर्णकालिक रूप से उपलब्ध रहूँगा। कार्यालयीन समय में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में उपस्थित रहूँगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन प्रारूप में जो जानकारी दी गयी है वह स्वयं के सज्ञान अनुसार पूरी तरह से सत्य है।

पता.........

दिनांक.........

हस्ताक्षर

निर्देश:–

1– सी.वी. का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
2– शैक्षिणक योग्यता और पूर्व सेवा व कार्य दक्षता संबंधी दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रमाणित करते हुए आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेगें। ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में आवेदन अमान्य किये जा सकेगें।
3– यदि आवेदक द्वारा आवेदन में शैक्षणिक योग्यता व पूर्व सेवा के कार्य अनुभव के बारे में दी गयी जानकारी मिथ्या पूर्ण पायी जाती है तो आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान एवं भविष्य की सेवा हेतु आवेदन करने से वंचित किया जा सकेगा।